न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 18/2018 G.C.M.S. No:2018/00168 **दर्ज दिनांक :11.06.2018**

अपीलार्थिगणः

स्व. वागाराम पुत्र श्री श्री नवीया के कायम के कायम मुकामः–
1. चेलाराम पुत्र स्व. वागाराम
2. धनकी पुत्री स्व. वागाराम
3. जेठाराम पुत्र स्व. वागाराम
4. फुलाराम पुत्र स्व. वागाराम
5. मंजु देवी पुत्री स्व वागाराम पत्नी सांकलाराम समस्त जातिगणः–मेघवाल निवासी भैसवाड़ा, तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. राजस्थान सरकार राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर
2. वेनाराम पुत्र जोईताराम जाति मेघवाल निवासी भैसवाड़ा तहसील आहोर, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 राजस्व वाद संख्या 101/2016 न्यायालय उपखंड अधिकारी आहोर एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री संजय खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 29.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी आहोर के राजस्व वाद संख्या 101/2016 बउनवान वागाराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 23.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई, अपील के सक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है–

यह कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद खातेदारी हक की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादी के पैतृक कब्जा काश्त की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम भैंसवाडा पटवार हल्का भैंसवाडा, भू.अ. निरीक्षेक क्षेत्र आहोर, तहसील आहोर जिला जालोर (राज.) में गत खसरा नम्बर 203 रकबा 12 बीघा 3 बीस्वा, किस्म बारानी द्वितीय की खातेदारी अपीलाण्ट के पिता नवीया वल्द करता की 3/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता जोईता वल्द लकमा की 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज थी जो जमाबंदी सवंत 2028 से 2031 से प्रमाणित हैं तथा उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा संख्या 551 रकबा 6.93 हैक्टर किस्म गै. मु. नदी अलाजोत नाकाबिल काश्त दर्ज कर दी गयी। उक्त आराजी में अपीलाण्ट के पिता नवीया वल्द करता को खातेदारी अधिकार प्राप्त थे तथा तत्कालीन समय में अपीलाण्ट के पिता का शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के निरन्तर रूप से कब्जा व काश्त चला आ रहा था एवं वर्तमान में अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के उपरान्त वर्णित आराजी में अपीलाण्ट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व काश्त हैं। कालान्तर में भूमि बंदोबस्त होने के दौरान अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की उक्त आराजी गै.मु.नदी दर्ज हो गयी है.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को होने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा बाबत् हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम भैसवाडा पटवार हल्का भैंसवाडा भू.अ.नि. क्षेत्र आहोर तहसील आहोर के गत् खसरा संख्या 203 रकबा 12 बीघा 3 बीस्वा किस्म बारानी द्वितीय के बने नवीन खसरा संख्या 551 रकबा 6.93 हैक्टर में से 9 बीघा की खातेदारी घोषणा कर उक्त आराजी अपीलाण्ट के नाम की खातेदारी घोषणा करवाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.06. 2017 को लोक अदालत केम्प भैंसवाडा में उक्त पत्रावली इस आधार पर खारीज कर दी। अपीलाधीन आदेश में वर्णित आराजी तत्कालीन समय में अपीलाण्ट के पिता नवीया वल्द करता के कब्जे कास्त की थी एवं उक्त आराजी में अथवा आराजी के आस–पास की भूमि कोई नदी नाले से लगती हुयी भूमि नहीं थी एवं ना ही उक्त आराजी में अथवा उसके पास होकर कोई जल प्रवाह स्त्रोत गुजरता था एवं उक्त आराजी के आसपास पुरानी खातेदारी खसरा नम्बर 203 के चारों तरफ अन्य लोगों की खातेदारी आराजी आयी हुई है तथा मौके पर कोई नदी नहीं हैं, न ही पूर्व में थी तथा पूर्व में मौके पर नदी होती तो पूर्वजों को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते। वर्तमान में उक्त आराजी अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की हैं एवं उसके द्वारा ही उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त की जा रही हैं। उक्त आराजी बाबत् वाद को निर्णित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अपने साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया एवं लोक अदालत केम्प भैंसवाडा में अपीलाण्ट की उपस्थिति दर्ज कर मात्र इस आधार पर अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया गया कि वर्णित आराजी को अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के निर्णय के अनुसार खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है, जबकि वर्णित आराजी वक्त भूमि बंदोबस्त के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों की त्रुटि के कारण भूमि की किस्म बदलकर गै.मु. नदी दर्ज कर सरकारी खाते मे ले ली गयी थीं, जबकि सेटलमेंट विभाग को खातेदारी हक हटाने का कोई अधिकार नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि बाबत् अपीलाण्ट को सरकार का जवाब वादपत्र पर आने के पश्चात साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना था एवं उसके उपरान्त विधिक प्रक्रिया अपनाये जाने के पश्चात वाद का न्याय निर्णयन किया जाना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी किसी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर अपीलाण्ट के वाद का लोक अदालत केम्प भैंसवाडा में निस्तारण कर दिया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील की सूचना भी अपीलान्ट को नहीं दी।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावें। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 05

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 26.02.2018 को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नकल हेतु आवेदन करने एवं दिनांक 27.02.2018 को नकल प्राप्त होने पर हुई, तत्पश्चात अपीलांट वृद्ध होने एवं बीमार होने के कारण बाद उपचार अपील प्रस्तुत की हैं। अतः विलम्बकाल माफ करते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार फरमावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वेनाराम द्वारा आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलांट का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः रिमांड किए जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा संगत विधिक प्रावधानों का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र में विलंब के कारण के रूप में निवेदन किया है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 26.02.2018 को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नकल हेतु आवेदन करने एवं दिनांक 27.02.2018 नकल प्राप्त होने पर हुयी, तत्पश्चात अपीलांट वृद्ध होने एवं बीमार होने के कारण बाद उपचार अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वागाराम अधीनस्थ न्यायालय में बतौर वादी एवं रेस्पोंडेंट वेनाराम बतौर प्रतिवादी पक्षकार रहे हैं।

2. अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 को पारित की गई हैं, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.06.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 को पारित किया गया है। उक्त दिनांक की आदेशिका में वादी अपीलांट वागाराम एवं प्रतिवादी वेनाराम के अंगुष्ठ निशान के साथ उपस्थिति दर्ज है। अतः अपीलांट का यह कथन कि उसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं तथा उसे सर्वप्रथम दिनांक 27.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई, पूर्णतया आधारहीन है एवं काबिल विश्वास नहीं हैं तथा अपीलांट द्वारा यह कथन करना कि वह वृद्ध एवं बीमार था तथा उपचार उपरांत स्वस्थ होने पर अपील प्रस्तुत की। लेकिन अपीलांट द्वारा स्वयं की बीमारी के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए एवं वृद्ध होना विलंब के लिए कोई सद्भाविक कारण नहीं माना जा सकता। अतः हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अपील के लिए निर्धारित म्याद अवधि के पश्चात विलंबकाल से पेश की गई हैं तथा विलंब के लिए कोई सद्भाविक कारण दर्शित नहीं किया है एवं न ही कोई अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख किया है एवं न ही कोई तर्कसंगत एवं विश्वासयोग्य आधार प्रकट किया है। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल को माफ किया जाना विधिसंगत एवं उचित नहीं होगा। लिहाजा अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 सारहीन होने व बखूबी साबित नहीं होने के कारण खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर के राजस्व वाद संख्या 101/2016 बअनवान वागाराम के कायम मुकाम बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 म्याद से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली